छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 566/2006</u>

1. श्री विजय बुधिया — अपीलार्थी
बुधिया आटो,
ट्रान्सपोर्ट नगर, कोरबा

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, — प्रतिअपीलार्थी
कार्यालय प्रमुख सचिव,
गृह विभाग, मंत्रालय, रायपुर

//<u>आदेश</u>//
(दिनांक 20 फरवरी, 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 15.6.206 को आवेदन भेजा, जो उनके यहॉं दिनांक 20.06.2006 को प्राप्त हुआ । निर्धारित समयावधि में जानकारी नहीं देने के कारण उनके द्वारा अपीलीय अधिकारी, कार्यालय प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 14.08.2006 को प्रथम अपील प्रस्तुत की, जो उनके कार्यालय में दिनांक 16.08.2006 को प्राप्त हुई । प्रथम अपील का निपटारा नहीं होने के कारण उनके द्वारा द्वितीय अपील दिनांक 15.12.2006 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण में अपीलार्थी तथा उनके अभिभाषक की सुनवाई की गई तथा प्रति अपीलार्थी की ओर से अवर सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, रायपुर की भी सुनवाई की गई । अवर सचिव ने अपनी ओर से संक्षेपिका बनाकर उत्तर प्रस्तुत किया । उत्तर में प्रति अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि श्रीमती डॉ0 गुलशन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, कोरबा के विरूद्ध जो पूर्व में शिकायत प्राप्त हुई थी, उस संबंध में शिकायत की जांच हेतु प्रकरण पुलिस मुख्यालय को भेजा गया और पुलिस मुख्यालय में यह जांच प्रकरण अपराध अनुसंधान विभाग से संबंधित होने के कारण उनको भेजा गया है । उप पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग ने अपने पत्र दिनांक 17.07.2006 द्वारा सूचित किया कि छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना दिनांक 19.4.2006 के द्वारा सी0आई0डी0 को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है । अत: यह जानकारी नहीं दी जा सकती । अपीलार्थी के अभिभाषक ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि जो शिकायत थी वह डॉ0 गुलशन के नर्सिग होम को अवैध गर्भपात के अड्‌डे के रूप में चलाये

जाने और उनके द्वारा कुँवारी लड़कियों से धन वसूलने के रूप में की गई थी । इस प्रकार यह शिकायत मानवाधिकार और भ्रष्टाचार से संबंधित होने के कारण अधिनियम द्वारा दी गई छूट इस पर लागू नहीं होती है । अत: जानकारी दिया जाना चाहिए ।

3/ सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-24(4) के Proviso में यह उल्लेख है कि यदि सूचना ऐसे अपराध से संबंधित है जो भ्रष्टाचार और मानवाधिकार का उल्लंघन के रूप में हो तो आयोग की अनुमति के बाद ऐसी जानकारी दी जा सकती है । अत: इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया तर्क मान्य योग्य है तथा जो शिकायत है वह मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन एवं भ्रष्टाचार से संबंधित होने के कारण उक्त अधिसूचना द्वारा दी गई छूट इस पर लागू होना मान्य नहीं किया जा सकता । अत: निर्देश दिये जाते है कि अब जन सूचना अधिकारी, आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी पुलिस मुख्यालय से प्राप्त कर 45 दिन के अंदर अपीलार्थी को प्रदान की जावे तथा इसके लिए अधिनियम के उक्त प्रावधान के तहत् आयोग अपनी अनुमति उक्त जानकारी देने हेतु प्रदान करता है ।

4/ उपरोक्त निर्देशों के साथ यह अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त